head' one of the most sophisticated artillery items over produced by the US; and

(b) if so, what steps are proposed to be taken by Government tot equip the Indian forces to meet the threat posed by the 'Copperhead' missiles?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI K. R. NARAYANAN): (a) Yes, Sir.

(b) All developments affecting India's security are kept under constant watch and appropriate measures taken to ensure full defence preparedness.

Unclaimed P.F. amount

1337. SHRIMATI KRISHNA KAUL: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) what is the amount of Provident Funds dues which is lying unclaimed by Provident Fund Organisations in the country;

(b) what are the reasons for which these amounts are lying unclaimed; and

(c) what steps are being taken to pay these amounts to the subscribers?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) A sum of about rupees fourteen crores is lying unclaimed with the Provident Fund Organisation:

(b) The amount has remained unpaid mainly on account of non-receipt of the claims from either the subscriber or his/her nominee/legal heir:

(c) The EPF authorities have been instructed to make all our efforts to locate the subscribers who have not preferred their claim For this purpose, they have been asked to give suitable publicity by displaying the particulars of unclaimed deposits on the notice boards of the factories establishments and also to enlist the cooperation of employers/trade unions in finding out the whereabout of the subscribers.

Application for 100 per cent export-oriented units

1338. SHRI M. VINCENT: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) what is the number of applications for issue of letter of intent/approval of 100 per cent export-oriented units pending with Government;

(b) whether there are different norms for according approval in the export zone area and outside the area; and

(c) whether there is any time limit for issue of approval from the date of receipt of such application?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BRAHM DUTT): (a) 79 applications for units to be set up under the 100 per cent EOU Scheme were pending as on 31st July, 1986.

(b) Separate schemes govern the establishment of a project within the Export Processing Zone and the setting up of a project as a 100 per cent Export Oriented Unit outside the Zone. The norms for consideration in both cases, however, take into account, among other things, the nature of the activity, its techno-economic feasibility in the specific circumstances and net foreign exchange realisations etc.

(c) Applications under the 100 per cent EOU Scheme, which are complete in all respects are expected to be cleared within a period of 30 days after registration in the case of Non-MRTP cases, and within 60 days after registration, in the case of MRTP cases. In the case of units within Export Processing Zones applications are expected to be cleared within 45 days.

उत्तर प्रदेश में आयकर के छापे

1339. **डा. रत्नाकर पाण्डेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष उत्तर प्रदेश में काले-धन का पता लगाने के लिए आयकर विभाग द्वारा मारे गए छापों की संख्या कितनी है ;

(ख) इन छापों के दौरान कितने काले-धन का पता लगाया गया ;

(ग) इस सिलसिले में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए ;

(घ) उनमें से कितनों के विरुद्ध मुकदमें दायर किए गए ; और

(ङ) क्या इन व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति एकाधिकार घरानों से सम्बन्ध रखता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) वित्तीय वर्ष 1985-86 में आयकर विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में ली गई तलाशियों की संख्या 634 थी, जिनके परिणामस्वरूप लगभग 5 18 करोड़ रुपये की परिसम्पत्तियां पकड़ी गयी थीं । आयकर अधिनियम के अन्तर्गत तलाशियों सम्बन्धी कार्रवाई के दौरान किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्रावधान नहीं है ।

(घ) और (ङ) वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग द्वारा चलाए गए अभियोजनों की संख्या 501 थी । इनमें एकाधिकार घरानों से सम्बन्धित दो मामले शामिल हैं, अर्थात् :--

1. मेसर्स जे. के. सिन्थेटिक्स ।

2. मेसर्स मोदी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ।

दिल्ली के समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों द्वारा पालेकर पंचाट का कार्यान्वयन

1340. **डा. रत्नाकर पाण्डेय** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के किन-किन समाचार पत्र प्रतिष्ठानों ने अपने कर्मचारियों को पालेकर पंचाट के अनुसार भुगतान नहीं किया है और इनमें से प्रत्येक प्रतिष्ठान की ओर कर्मचारियों की कितनी-कितनी राशि बकाया है ; और

(ख) राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) श्रमायुक्त, दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार, निम्नलिखित समाचारपत्र प्रतिष्ठानों ने पूर्णतया पालेकर पंचाट के अनुसार मजदूरी का भुगतान नहीं किया :--

(1) मैसर्स बैनट कोलमैन लि0, नई दिल्ली । प्रबंधतंत्र ने वर्गीकरण के संबंध में उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की और वे दिनांक 20-5-81 तथा 4-12-81 के आदेश के अनुसार बढ़ी हुई राशि का 50 प्रतिशत भुगतान कर रहे हैं ।

2. मैसर्स अलजामियत (अब बंद पड़ा है) ।

3. मैसर्स समाचार भारती (अब बंद पड़ा है) ।

4. मैसर्स डेली दावत :
कार्मिकों को उनके पारस्परिक करार के अनुसार वर्ग-3 की बजाय वर्ग 4 का भुगतान किया जा रहा है ।

5. मैसर्स सवेरा :
अंशकालिक श्रमजीवी पत्रकारों को उनकी पुरानी परिलब्धियों को बनाए रखने के बारे में, उनके द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार भुगतान किया जा रहा है ।

6. मैसर्स शमा ग्रुप :
प्रबंधतंत्र दिनांक 28-8-80 और 31-3-81 के पारस्परिक करारों के अनुसार मजदूरी का भुगतान कर रहा है । पंचाट के फायदे केवल पत्रिका कर्मचारियों को दिये गये हैं ।

(ख) जब कभी श्रमायुक्त को पालेकर पंचाट को लागू न करने के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं, तब यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है कि प्रबंधतंत्र उक्त पंचाट को लागू करें । इस समय, पालेकर पंचाट को लागू न करने के बारे में दो मामले श्रम न्यायालय में लंबित पड़े हैं ।